

A.B.P. No. 577/2026
Chakai P.S. case no. 46/2026
Sudama Sah & others Vs. State of Bihar

ORDER.

10.06.2026

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकिशोर चौधरी द्वारा जमानत आवेदन वापस लेने हेतु एक आवेदन दिया। उनका कथन है कि आवेदक को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) का लाभ पुलिस द्वारा दी गई है, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहता हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक को इस जमानत आवेदन की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वापसी के आधार पर इस जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष
न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
जमुई।

प्रति:— विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष
न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
जमुई।